ई-मेल
शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या- 385/सोलह-3-2021-15(151)/2015

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

विषयः- प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्पन्न करायी जाने वाली परीक्षाओं को शुचितापूर्ण ढंग से आयोजित किये जाने के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43398/जे-प्रशा0परिषद, दिनांक 06.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-प्राशिप/अनु04/2022/10642 दिनांक 06.12.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षाओं के शुचितापूर्ण संचालन हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-15/24/2018-का-4-2018 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-92/2016/2026/सोलह-15(151)/2015 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 व अन्य संगत नियमों के आलोक में परीक्षा केन्द्रों के चयन/निर्धारण हेतु नीति निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 06.12.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-15/24/2018-का-4-2018 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-92/2016/2026/सोलह-15(151)/2015 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के आलोक में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षाओं के शुचितापूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के चयन/निर्धारण के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर से निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(क)-परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु अनिवार्य व्यवस्थाएं एवं मानक-

(1) प्रत्येक जनपद में अवस्थित राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक कालेजों को परीक्षा केन्द्र अनिवार्यतः बनाया जाय।

(2) किसी भी जनपद के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र यथासंभव उसी जनपद में बनाया जाय। यदि परीक्षा केन्द्र अन्य जनपद में बनाये जाने की स्थिति उत्पन्न हो तो यह अनिवार्यतः विनिश्चय किया जाय कि वह परीक्षा केन्द्र सम्बन्धित परीक्षार्थी के मूल संस्थान से 10 से 15 कि0मी0 की परिधि में ही अवस्थित हो।

(3) सम एवं विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिये वर्ष में एक बार ही परीक्षा केन्द्र का निर्धारण कर लिया जाय।

(4) निजी संस्थानों को, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, यथासम्भव निरन्तर प्रत्येक वर्ष परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय, जिससे शुचिता एवं पारदर्शिता कायम हो।

(5) नकल की समस्या को रोकने के लिये जनपद स्तरीय बड़े संस्थानों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाय जहां प्रकाश एवं पंखों की समुचित व्यवस्था हो तथा फर्नीचर की नियमित उपलब्धता हो।

(6) गत वर्षों में परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों /पर्यवेक्षकों के स्तर से प्राप्त रिपोर्टों का सम्यक गुणवत्तापूर्वक परीक्षण किया जाय तथा परीक्षणोपरान्त ऐसे संस्थानों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय जहां गत वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये हो।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि चिन्हित परीक्षा केन्द्र बाउन्ड्रीवाल से घिरा हो एवं उसमें बन्द करने वाला मेन गेट लगा हो।

(8) चिन्हित परीक्षा केन्द्र के भवन ए0आई0सी0टी0ई0 एवं पी0सी0आई0 के मानको के अनुरूप हो तथा वहां मानक के अनुरूप शैक्षिणक स्टाफ कार्यरत हों।

(9) चिन्हित परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष एवं प्रश्नपत्र कन्ट्रोल रूम सी0सी0टी0वी0 कैमरों से युक्त हो।

(10) परीक्षा केन्द्र पर विद्युत व्यवस्था हो एवं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर/यू0पी0एस0 की सुविधा उपलब्ध हो।

(11) पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो तथा पुरूष एवं महिला परीक्षार्थियों के लिये अलग-अलग शौचालय हो।

(12) परीक्षा केन्द्र यथासम्भव मण्डल/जनपद/नगर/तहसील/मुख्यालय के समीप ही बनाया जाय जहां पहुंचने के लिये यातायात के साधनों की अच्छी सुविधा हो। पतली गली अथवा अत्यन्त दूरस्थ क्षेत्रों, जहां यातायात के संसाधनों की कमी हो, को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(ख) परीक्षा केन्द्रों के वर्गीकरण हेतु व्यवस्था

(1) प्रत्येक जनपद में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण/चयन से पूर्व सम्बन्धित जनपद में अवस्थित संस्थानों /केन्द्रों का वर्गीकरण एक ''संयुक्त समिति'' (परीक्षा) के माध्यम से कराया जायेगा। संयुक्त समिति (परीक्षा) का स्वरूप/गठन निम्नवत होगा:-

1- जिलाधिकारी	-अध्यक्ष
2- जिला विद्यालय निरीक्षक	-सदस्य
3- प्रधानाचार्य, आई0टी0आई(जिलाधिकारी द्वारा नामित)	-सदस्य
4- प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक (नोडल)	-सदस्य सचिव

(2) ''संयुक्त समिति'' (परीक्षा) केन्द्रों का 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' में वर्गीकरण उक्त मानकों सहित निम्न मानकों के आधार पर करेगी:-

1- परीक्षा केन्द्र पर कुल परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता/संस्थान की कुल प्रवेश क्षमता।

2- परीक्षा केन्द्र पर कक्ष निरीक्षण हेतु संस्थान्तर्गत अध्यापकों एवं लिपिकीय स्टाफ/अन्य कार्मिकों की संख्या।

3- परीक्षा केन्द्र पर विभिन्य चयन आयोगों द्वारा विगत 3 वर्ष में आयोजित कराई गई परीक्षाओं की संख्या।

4- परीक्षा केन्द्र तक जाने हेतु मार्ग की स्थिति (चौड़ी सड़क अथवा पतली गली)

5- परीक्षा केन्द्र तक जाने हेतु यातायात के साधनों की स्थिति।

6- परीक्षा केन्द्र/संस्था में कक्षों की संख्या।

7- परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्षों की स्थिति। (भूतल एवं प्रथम तल के परीक्षा कक्ष वाले परीक्षा केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाए।)

8-परीक्षा केन्द्र के भवन की स्थिति।

9- परीक्षा केन्द्र पर फर्नीचर एवं विद्युत उपकरणों (बिजली, पंखा, सीसीटीवी) आदि की स्थिति।

10- पर्यवेक्षण कार्य में सहयोग हेतु परीक्षकों की संख्या।

11- विद्युत जनरेटर।

(3) ''संयुक्त समिति'' (परीक्षा) उपरोक्त मानकों के आधार पर संस्थानों को 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' में वर्गीकृत करने हेतु निम्न प्रारूप और प्रोफार्मा पर संबंधित संस्था का अंक निर्धारण करेगीः-

<u>परीक्षा केन्द्रों का वर्गीकरण किये जाने हेतु प्रारूप/प्रोफार्मा</u>

संस्था कोड एवं नाम-.....

ट्रस्ट/सोसाइटी का नाम-.....

निजी क्षेत्र की संस्था का नाम- .....

क्रम सं0	मानक	वर्गीकरण हेतु अंकों का आधार	उपलब्धता / विवरण	प्राप्तांक
1.	संस्था परीक्षा केन्द्र की कुल प्रवेश क्षमता (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष सहित)	500 से अधिक - 05 201 से 500 तक - 03 100 से 200 तक - 01		
2.	परीक्षा केन्द्र पर कक्ष निरीक्षण हेतु संस्थागत अध्यापकों एवं लिपिकीय स्टाफ की संख्या (भौतिक सत्यापन आवश्यक)	25 से अधिक अध्यापकों एवं लिपिकीय स्टाफ की संख्या हेतु - 05 20 से 25 अध्यापकों की संख्या हेतु - 03 20 से कम अध्यापकों की संख्या हेतु - 01		
3.	परीक्षा केन्द्र पर विभिन्न चयन आयोगों द्वारा विगत 3 वर्ष में आयोजित करायी गयी परीक्षाओं का विवरण	यदि परीक्षा आयोजित करायी गयी है तो - 04		
4.	परीक्षा केन्द्र तक जाने हेतु मार्ग की स्थिति (चौडी	15 फीट या उससे अधिक का रास्ता हेतु - 03		

	सडक अथवा पतली गली)			
5.	परीक्षा केन्द्र तक जाने हेतु यातायात के साधनों की स्थिति	सार्वजनिक यातायात हेतु - 05 अन्यथा हेतु - 02		
6.	परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति	जिला मुख्यालय से केन्द्र की दूरी <=5 कि0- 05 जिला मुख्यालय से केन्द्र की दूरी >=5-10 कि0- 03 जिला मुख्यालय से केन्द्र की दूरी >10 कि0- 02		
7.	संस्था में कक्षों की संख्या (प्रयोगशाला एवं कार्यालय कक्ष के अतिरिक्त तथा आगणन हेतु कक्ष का साइज- 70 वर्ग मी0)	15 या 15 से अधिक हेतु - 05 10 से 14 हेतु - 03 10 से कम हेतु - 01		
8.	परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्षों की स्थिति। (भूतल एवं प्रथम तल के परीक्षा कक्ष वाले परीक्षा केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाए।)	केवल भूतल के परीक्षा कक्षों हेतु-05 भूतल व प्रथम तल के परीक्षा कक्षों हेतु-03 प्रथम तल व द्वितीय तल के परीक्षा कक्षों हेतु-01		
9.	भवन/परिसर का रख-रखाव	गुड-हाउस कीपिंग एंव हरियाली हेतु - 05		
10.	परीक्षा केन्द्र पर फर्नीचर एवं विद्युत उपकरण (लाइट, पंखा) तथा अन्य सुविधायें	फर्नीचर, पीने योग्य पानी, प्रसाधन, विद्युत उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा की उपलब्धता हेतु - 03		
11.	मूल्यांकन कार्य में सहयोग हेतु परीक्षकों की संख्या एवं परीक्षक का कोड	परीक्षकों की संख्या - (प्रति परीक्षक हेतु $1/2$ अंक एवं 10 अंक अधिकतम)		
12.	विद्युत जनरेटर-सेट	20 के0वी0ए0 से बड़ा - 05 10 से 20 के0वी0ए0 - 03 05 से 10 के0वी0ए0 - 01		
		योग		

(4) उपरोक्त वर्गीकरण के मानक जनपद में अवस्थित निजी संस्थानों पर लागू होंगे। उपरोक्त मानकों के आधार पर प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर उक्त समिति निजी संस्थानों की श्रेणी निम्नानुसार वर्गीकृत करेगी:-

श्रेणी 'ए' - प्राप्तांक 80 से 100 %

श्रेणी 'बी' - प्राप्तांक 60 से 79 %

श्रेणी 'सी' - प्राप्तांक 45 से 59 %

श्रेणी 'डी' - प्राप्तांक 30 से 44 %

(5) उपर्युक्त गठित समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का वर्गीकरण कर निर्धारित प्रारुप पर भरी गयी सूचना सहित परीक्षा केन्द्रों की समेकित सूची प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को 15 दिवसों में उपलब्ध करायेगी।

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि परिषद स्तर से उक्त परीक्षा केन्द्रों का मूल्यांकन/वर्गीकरण प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम एक बार अवश्य कराया जाये, जिससे प्रतिकूल श्रेणी में वर्गीकृत परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा से हटाया जा सके एवं निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले नये संस्थानों को भी परीक्षा केन्द्र बनाया जा सके।

4. जनपद स्तरीय ''संयुक्त समिति'' (परीक्षा) द्वारा वर्गीकरण के उपरान्त परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट/संस्तुतियों पर प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन गठित ''परीक्षा समिति'' द्वारा विचार किया जायेगा तथा विचारोपरान्त गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा स्थापित नियमों/मानकों/प्रक्रियाओं एवं अन्य सुसंगत नियमों के आलोक में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

26/12/22

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।

2- समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

3- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-प्राशिप/अनु04/2022/10642, दिनांक 06.12.2022 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

4- समस्त नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक।

5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
विशेष सचिव।